भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 13

बुधवार, 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया

13. श्री अरूण साव:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री विजय बघेल:
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, बेमेतरा और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, महाराष्ट्र में सतारा, सोलापुर और लातूर तथा झारखंड में चतरा और लातेहार में मेक इन इंडिया (एमआईआई) परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में मेक इन इंडिया (एमआईआई) परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) देश में मेक इन इंडिया (एमआईआई) परियोजना के अंतर्गत आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मेक इन इंडिया (एमआईआई) के तहत किए गए कार्यों और प्रगति/उपलब्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (घ): 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरूआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश में सहायता करना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। यह अपनी तरह की एक विशिष्ट "वोकल फॉर लोकल" पहल थी जिसने विश्व के समक्ष भारत के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित किया। 'मेक इन इंडिया' पहल राज्य/जिला/शहर/क्षेत्र विशिष्ट पहल ही नहीं है बल्कि इसे पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों की योजनाओं का समन्वय करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने तथा देश में घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेश का संवर्धन करने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेश में भारतीय मिशन के माध्यम से निवेश आउटरीच कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

वि भिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर की

शुरूआत, कॉर्पोरेट करों में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार संबंधी कार्यकलाप, एफडीआई नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी हेतु उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) शामिल हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं को विकास के अवसरों में बदलने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज, विभिन्न मंत्रालयों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरूआत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का सॉफ्ट लॉन्च आदि शामिल हैं। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) सहित भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में निवेश में तेजी लाने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित की गई है।

भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए तथा भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले विनिर्माण के 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीमों हेतु केंद्रीय बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय की घोषणा की गई है।

सरकार द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014-15 में भारत का एफडीआई अंतर्वाह 45.15 बिलियन अमरीकी डॉलर था तथा तब से इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में 84.84 बिलियन अमरीकी डॉलर (अनंतिम आंकड़े) का अंतर्वाह दर्ज हुआ जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, कोविड संबंधी बाधाओं के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में सकारात्मक समग्र वृद्धि का रूझान रहा है। इस क्षेत्र में कुल रोजगार वर्ष 2017-18 के 57 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 62.4 मिलियन हो गया है।

मेक इन इंडिया पहल के तहत, केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा भी गतिविधियां चलाई गई हैं। मंत्रालय अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और नीतियां तैयार करते हैं, जबकि राज्यों के पास भी निवेश आकर्षित करने हेतु अपनी स्कीमें हैं।

*****